<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 2316/2014

संस्थापन दिनांक 29.12.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र. — अभियोजन

बनाम

1—देवेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह गुर्जर उम्र 24 वर्ष 2—अरविन्दसिंह पुत्र गंगासिंह गुर्जर उम्र 20 वर्ष 3—बल्लूराजा पुत्र मायाराम गुर्जर उम्र 25 साल 4—गंगू उर्फ गंगासिंह पुत्र मंगलसिंह गुर्जर निवासीगण ग्राम आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- 1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 323/34, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। शेष विचारणीय धारा 324/34, भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.02.14 को 10 बजे फरियादी विनोद कुमार अ0सा01 के घर के सामने ग्राम आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड पर फरियादी विनोद कुमार अ0सा01 की कुल्हाड़ी से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा आरोपी अरविन्द के विरुद्ध धारा 336 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि अरविन्द ने उतावलेपन या उपेक्षा से बंदूक से फायर कर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.12.14 को फरियादी विनोद कुमार अ0सा01 ने खेत पर पानी लगाकर बंद किया तो देखा कि लेजम कटी है और पानी फैल रहा है तथा वहां पर आरोपी अरविन्द उपस्थित था। फिर दिनांक 04.02.14 को सुबह 09:30 बजे

फरियादी विनोद कुमार अ०सा०१ ने आरोपी गंगू से कहा कि अरविन्द ने लेजम रात में काटी है उसने नहीं काटी तो आरोपी गंगू कुल्हाड़ी, देवेन्द्र लाठी एवं अरविन्द कट्टा लिए बल्लूराजा के साथ आये और उसे अश्लील गालियां दी जब उसने गाली देने से मना किया तो तो गंगू ने कुल्हाड़ी के बेंट से उसके दोनों पैर व पीठ में मारा जिससे मूंदी चोट आई। जब वह चिल्लाया तो उसका लड़का सोनू व भतीजा बचाने आये तो सोनू को बल्लूराजा ने पटक लिया तथा देवेन्द्र ने लाठी पीठ में मारी व संतोष को बल्लूराजा ने पीछे से पत्थर मारा जो कमर पर लगा तथा अरविन्द ने कट्टे से फायर कर दिया जिस वह सभी लोग भयभीत हो गये। तत्पश्चात फरियादी विनोद कुमार अ०सा०१ की रिपोर्ट पर से थाना गोहद में अप०क० 408/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि :–

4.

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 04.02.14 को 10 बजे फरियादी विनोद कुमार अ0सा01 के घर के सामने ग्राम आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड पर फरियादी विनोद कुमार अ0सा01 की कुल्हाड़ी से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी अरविन्द ने उतावलेपन या उपेक्षा से बंदूक से फायर कर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ व ०२ का सकारण निष्कर्ष /

- 5. फरियादी विनोद कुमार अ०सा०१ ने कथन किया है कि दिनांक 10.08.16 को दो वर्ष पूर्व उसके खेत में पानी चल रहा था और लेजम डली हुई थी जब वह रात को देखने गया तो पानी निकल रहा था और आरोपी देवेन्द्र व अरविन्द भागते हुए नजर आये जब वह सुबह उसके घर गया तो आरोपीगण ने उसे गालियां देकर भगा दिया फिर बाद में आरोपीगण उसके घर के सामने आये और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गंगू ने उसे कुल्हाड़ी मारी देवेन्द्र व बब्बू के पास लाठी थी देवेन्द्र ने उसे अंगूठे में काट लिया अरविन्द ने कट्टा चलाया। उसके लड़के सोनू अ०सा०२ व संतोष अ०सा०३ भी साथ में थे। फिर उसने थाने पर जाकर रिपोर्ट प्र०पी—1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र०पी—2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- सोनू अ0सा02 जों के आहत का पुत्र है और संतोष अ0सा03 जों कि आहत का भाई है, ने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व जब खेत पर पानी चल रहा था तब आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। उक्त दोनों ही साक्षीगण ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 04.02.14 को आरोपीगण ने विनाद की कुल्हाड़ी से मारपीट की और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि अरविन्द ने बंदूक से फायर किया और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन

अंतर्गत धारा 161 दप्रस क्रमशः प्र0पी—3 व 4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः आहत के दोनों अभिकथित प्रत्यक्ष साक्षीगण ने विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

धारा 294 दप्रस के अधीन बचाव पक्ष द्वारा चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट 7. प्र0पी-5 विवादग्रस्त न होना स्वीकार किया गया है। अतः चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-5 में धारदार हथियार से आहत विनाद अ0सा01 के चोट आ जाने का कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है। बांये हाथ के अंगूठे में दांत से काटने का निशान उल्लिखित है। अतः विनोद अ०सा०१ को कुल्हाड़ी से उपहति पहुंचाये जाने के कथन का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होता है। परन्त् देवेन्द्र द्वारा जो अंगूठे में आहत को काटा जाना बताया है उस तथ्य की संपुष्टि रिपोर्ट प्र0पी–5 से होती है। इस संबंध में विनोद अ0सा01 ने पैरा 6 में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि आरोपीगण द्वारा उसे कितनी चोटें पहुंचाई थी और रिपोर्ट प्र0पी–1 में उसने यह नहीं बताया था कि उसे कितनी चोटें आईं थीं। अतः दांतों से काटे जाने के तथ्य को प्रतिपरीक्षण में भी चुनौती नहीं दी गयी है। यद्यपि आहत यह बताने में असमर्थ रहा है कि उसे कितनी चोटें आईं थीं। इस संबंध में न्यायदृष्टांत अन्नारेढ्ढी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2009 सु.को. 2661 में प्रतिपादित किया गया है कि जब साक्षी प्रत्येक अभियुक्त का विशिष्ट कृत्य न बता पाये तब यह तथ्य उसके कथनों पर अविश्वास किए जाने का कारण नहीं बनाता है। अतः आहत मात्र यह बताने में असमर्थ रहा है कि उसे कितनी चोटें आईं थीं तब उसके द्वारा अंगूठे में बतायी गयी विशिष्ट चोट स्वमेव अविश्वसनीय नहीं हो जाती है।

8. विनोद अ०सा०१ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि अरिवन्द ने कट्टे से फायर किया था और इस सुझाव से इंकार किया है कि गुत्थमगुत्थी में कोई फायर नहीं हुआ था। मुख्यपरीक्षण में भी विनोद अ०सा०१ ने मात्र अरिवन्द द्वारा कटटा चलाया जाना बताया है। अतः विनोद अ०सा०१ ने इस आशय का स्पष्ट कथन नहीं दिया है कि कट्टे के फायर से उसका जीवन संकट में पड़ा हो। परिस्थितिजन्य तथ्यों से भी उक्त तथ्य निर्धारित करने के लिए यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितनी दूरी से किस दिशा में फायर किया गया जिससे कि मानव जीवन संकट में पड़ने के तथ्य अभिनिश्चित किया जा सके। प्रकरण में कोई कट्टा जप्त भी नहीं है। अतः आरोपी अरिवन्द द्वारा उपेक्षापूर्वक फायर कर विनोद अ०सा०१ का मानव जीवन संकटापित करने के संबंध में अभियोजन द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी गयी है।

विनोद अ०सा०१ ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को लेजम काटते हुए नहीं देखा मात्र भागते हुए देखा था। लेकिन यह भी कथन किया है कि वह आरोपीगण के घर पर प्रातः 8 बजे गया था और पैरा 3 में बताया है कि जब वह घर चला आया तब 10-5 मिनट बाद आरोपीगण उसके घर आ गये थे। अतः जबिक फरियादी अपने घर आ गया था तब फरियादी द्वारा आरोपीगण को प्रकोपित किया गया यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है अतः घटना गंभीर प्रकोपन के अन्यथा कारित होना ही सिद्ध होता है और आरोपीगण द्वारा लेजम काटे जाने का तथ्य प्रत्यक्ष साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हुआ है। परनतु मामले में उपहित के बिन्दु का भी विनिश्चय किया जाना है जिससे उक्त तथ्य तात्विक नहीं है। परनतु घटना का कारण स्पष्ट करता है।

- विनोद अ०सा०१ के कथन का समर्थन अन्य प्रत्यक्ष साक्षीगण ने नहीं 10. किया है परन्तु सभी आरोपीगण की उपस्थिति में देवेन्द्र द्वारा उसे अंगूठे में काटे जाने का मुख्यपरीक्षण में दिया कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहा है। न्यायदृष्टांत अब्दुल सयैद बनाम म0प्र0राज्य (2010)10 एस.सी.सी. 259 में प्रतिपादित किया गया है कि आहत गवाह घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित करता है और जब तक ठोस कारण नहीं हो, की साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विनोद अ०सा०१ पर विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुए हैं जिससे उपहति के संबंध में उसके द्वारा मुख्यपरीक्षण में दी गयी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके अथवा घ ाटनास्थल पर आरोपीगण की उपस्थिति प्रमाणित न हो। अतः एकल साक्षी विनोद अ०सा01 के कथन विश्वसनीय और निर्भर रहने योग्य प्रतीत होते हैं जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में सफल रहता है और यह सिद्ध होता है कि आरोपीगण ने विनोद अ0सा01 को कुल्हाड़ी से सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया उपहति कारित की। परन्तु अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहता है कि अरविन्द ने उतावलेपन या उपेक्षा से बदूंक से फायर कर विनोद अ0सा01 का मानव जीवन संकटापन्न किया।
- परिणामतः आरोपी देवेन्द्र, बल्लूराजा, गंगू उर्फ गंगासिंह एवं अरविन्द को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है तथा आरोपी अरविन्द को धारा 336 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता
- आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। उन्हें 12. अभिरक्षा में लिया जाता है ।
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आहत विनोद अ०सा०1 से उभयपक्ष का शमन हो चुका है आरोपीगण की पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अतः आरोपीगण को कारावास का दण्डादेश दिया जाना आवश्यक और न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान कर आदेशित किया जाता है कि आरोपीगण द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत पांच हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का बंध पत्र इस शर्त के अधीन प्रस्तृत किया जाये कि वह निर्णय दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक परिशान्ति बनाये रखेगें और सदाचारी रहेगें तथा पुनः समान प्रकृति के अपराध में संलिप्त नहीं होंगे और अगर उपरोक्त शर्तो का आरोपीगण द्वारा उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है तो न्यायालय के समक्ष दण्डादेश भूगतने के लिए उपस्थित रहेंगें।

प्रकरण में कोई जप्तश्दा संपत्ति नहीं है। 14.

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0